[2019] 3 उम. नि. प. 358

नंदलाल

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 510]

15 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – अपवाद-4 और धारा 304 भाग 2 – मृतक की मृत्यु कारित होना – मृतक की मृत्यु अचानक हुई लड़ाई-झगड़े में कारित होना – अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतक की हत्या कारित करने के लिए आजीवन कारावास से सिद्धदोष किया जाना – यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक के बीच कतिपय आपसी विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट हुई तथा अभियुक्त-अपीलार्थी मृतक के मकान-घटनास्थल से सटे अपने मकान में गया और गुप्ती लेकर वापस आया और मृतक पर एक प्रहार करके उसे क्षति पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई और अभियुक्त द्वारा मृतक पर हमला पूर्वचिंतन और मृत्यु कारित करने के आशय के बिना आवेश की तीव्रता में किया गया था और अभियुक्त द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है या अप्रायिक अथवा क्रूरतापूर्ण रीति में कार्य नहीं किया गया है तो वह धारा 300 के अपवाद-4 का फायदा पाने का हकदार होगा और उसे धारा 304 के भाग 2 के अधीन दोषसिद्ध करना ही उचित और विधिपूर्ण होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-नंदलाल बाविस्कर और एक दिलीप वमन बाविस्कर घनिष्ठ नातेदार हैं । वर्ष 2005 में, दिलीप ने अपने परिसर और अपीलार्थी के मकान के बीचों-बीच एक सांझी दीवार का निर्माण किया था । चूंकि दिलीप ने दीवार के निर्माण का सारा खर्चा उपगत किया था, इसलिए उसने अपीलार्थी से आधा खर्चा मांगा, जिसके लिए उसने मना कर दिया । इस बात के कारण पक्षकारों के बीच प्राय: झगड़ा होता रहता था । तारीख 16 मई, 2006 को लगभग 4.00 बजे

अपराह्न में दिलीप, उसकी पत्नी सुखबाई-अभि. सा. 4 और अपीलार्थी के बीच गाली-गलौज हुई । दिलीप के पुत्र-गणेश-अभि. सा. 5 ने गोपीचंद वमन बाविस्कर को बुलाया । तद्नुसार, गोपीचंद और उसका भाई लखीचंद (मृतक) जो शारीरिक रूप से नि:शक्त था, दिलीप के मकान पर गए और उन्होंने स्थिति को शांत किया । इस प्रक्रिया में, लखीचंद ने भी अपीलार्थी को गाली दी । अपीलार्थी ने नाराज होकर लखीचंद पर लाठी से उसकी कमर पर हमला किया । अपने भाई पर उक्त हमला देखकर गोपीचंद ने अपीलार्थी के सिर पर लाठी से प्रहार किया । उसके पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से अपने मकान पर गया और परशुराम और उसके पुत्र संजय-क्रमश: अभियुक्त सं. 2 और 3 के साथ वापस आया । इस समय अपीलार्थी एक गुप्ती से लैश था, जबकि परशुराम अभिकथित रूप से बल्लम से और संजय एक लाठी से लैश था । जब गोपीचंद, दिलीप और लखीचंद ने अपीलार्थी को दो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने हाथों में आयुध लिए हुए उनकी ओर आते हुए देखा, तो गोपीचंद और दिलीप अभिकथित रूप से एक तरफ चले गए किंतु लखीचंद शारीरिक नि:शक्तता के कारण उतनी शीघ्रता से वहां से नहीं जा सका । अपीलार्थी ने गुप्ती से लखीचंद पर उसकी बाईं कांख पर हमला किया । परशुराम ने बल्लम से लखीचंद पर हमला किया । जबकि संजय ने लाठी से उस पर हमला किया । हमले के कारण लखीचंद को उसकी छाती, बाईं कांख पर रक्तस्राव क्षतियां पहुंचीं और वहीं बेहोश हो गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भाग गए । गोपीचंद-अभि. सा. 1 अपनी भाभी-सुखबाई-अभि. सा. 4 और अन्य व्यक्तियों के साथ लखीचंद को राजकीय अस्पताल, अडावाड लाए, जहां परीक्षण करने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया । विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई । अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और अन्य साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं और अभियुक्त सं. 2 और 3 ने मृतक पर बल्लम और लाठी से हमला किया था और उन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा उनमें से प्रत्येक

को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपील में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल अपीलार्थी ने प्राणहर शस्त्र से मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की । जहां तक अभियुक्त सं. 2 और 3 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सं. 2 और 3 अपीलार्थी के साथ घटनास्थल पर घटना के केवल बाद वाले भाग में आए थे और मृतक की हत्या करने का कोई सामान्य आशय नहीं था और इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – गोपीचंद-अभि. सा. 1/शिकायतकर्ता, मृतक लखीचंद और दिलीप का सगा भाई है तथा अपीलार्थी उनके पिता का चचेरा भाई है । अपीलार्थी का मकान और दिलीप का मकान एक-दूसरे से सटे हैं और दिलीप ने अपने परिसर तथा अपीलार्थी के मकान के बीच में एक सांझी दीवार का निर्माण किया था और दीवार के निर्माण के खर्चे में हिस्से को लेकर उनके बीच विवाद था और यह बात दोनों पक्षकारों के बीच अक्सर झगड़ा होने का कारण बन गई थी । घटना की तारीख अर्थात् 16 मई, 2006 को 4.00 बजे अपराह्न में दिलीप, उसकी पत्नी सुखबाई-अभि. सा. 4 और अपीलार्थी के बीच गाली-गलौज हुई । दिलीप के पुत्र गणेश-अभि. सा. 5 ने गोपीचंद-अभि. सा. 1 को बुलाया । तद्नुसार, अभि. सा. 1 और उसके भाई लखीचंद (मृतक) दिलीप के मकान पर गया और स्थिति को शांत करने की कोशिश की, किन्तु इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका । इस प्रक्रिया में, मृतक ने अपीलार्थी को गाली दी और अपीलार्थी क्षुब्ध हो गया तथा लखीचंद पर लाठी से उसकी पीठ पर हमला किया । यह देखकर, गोपीचंद-अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी के सिर पर लाठी से एक प्रहार किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी अपने मकान पर गया और गुप्ती से लैश होकर अन्य अभियुक्तों के साथ वापस आया तथा लखीचंद की बाईं कांख में गुप्ती से क्षति कारित की । उपरोक्त घटना केवल आपस में गाली-गलौज होने और गोपीचंद द्वारा अपीलार्थी

के सिर पर किए गए लाठी के प्रहार के पश्चात् घटी थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी और दिलीप के बीच विवाद एक सांझी दीवार के निर्माण और इसके खर्चे में हिस्सा न देने के कारण था । अपीलार्थी का मकान दिलीप के मकान से अगला ही था, इसलिए प्रथम घटना और उसके पश्चात् हुई घटना, जिसमें अपीलार्थी ने मृतक की बाईं कांख में गुप्ती से क्षति कारित की थी, के बीच समय का कोई अंतराल नहीं था । दोनों घटनाएं दो अलग-अलग भागों में होना नहीं कहा जा सकता है अपितु वे एक ही घटना के अभिन्न भाग हैं । अपीलार्थी ने गुप्ती से बाईं कांख पर केवल एक प्रहार किया था जो बाईं भुजा के ऊपरी सिरे को भेदता हुआ छाती में प्रविष्ट हुआ और चौथी पसली का अस्थिभंग करते हुए फेफड़े तक पहुंचा और बाएं फेफड़े की वाहिका को विदारित किया । यद्यपि, गुप्ती एक खतरनाक आयुध था और अपीलार्थी-अभियुक्त ने एक क्षति कारित की थी जो फेफड़े तक जा पहुंची । गोपीचंद-अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी पर लाठी से प्रहार करने पर उसने अचानक हुए झगड़े और आवेश की तीव्रता में मृतक लखीचंद को क्षति कारित की थी । न्यायालय के मत में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आता है । अपीलार्थी-अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में उपांतरित किए जाने योग्य है । (पैरा 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] 2019 की दांडिक अपील सं. 286-288,
तारीख 5 मार्च, 2019 को विनिश्चित :
आसिफ खान बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ; 15

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 796 :
सुरैन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 8, 13

[2006] (2006) 7 एस. सी. सी. 391 :
पप्पू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 13

[2004] (2004) 11 एस. सी. सी. 395 :
श्रीधर भुयन बनाम **उड़ीसा राज्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 510.

2008 की दांडिक अपील सं. 293 में बम्बई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के तारीख 26 अगस्त, 2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री दिनेश चन्द्र पांडेय और विशाल राय

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री निशांत रमाकांत राव कटनेश्वरकर और अनूप कंदारी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. यह 2008 की दांडिक अपील सं. 293 में बम्बई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2010 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की । उच्च न्यायालय ने उसी निर्णय द्वारा क्रमश: अभियुक्त सं. 2 और 3 परशुराम और उसके पुत्र-संजय को दोषमुक्त कर दिया ।

3. अपीलार्थी-नंदलाल बाविस्कर और एक दिलीप वमन बाविस्कर घनिष्ठ नातेदार हैं । वर्ष 2005 में, दिलीप ने अपने परिसर और अपीलार्थी के मकान के बीचों-बीच एक सांझी दीवार का निर्माण किया था । चूंकि दिलीप ने दीवार के निर्माण का सारा खर्चा उपगत किया था, इसलिए उसने अपीलार्थी से आधा खर्चा मांगा, जिसके लिए उसने मना कर दिया । इस बात के कारण पक्षकारों के बीच प्राय: झगड़ा होता रहता था । तारीख 16 मई, 2006 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में दिलीप, उसकी पत्नी सुखबाई-अभि. सा. 4 और अपीलार्थी के बीच गाली-गलौज

हुई । दिलीप के पुत्र-गणेश-अभि. सा. 5 ने गोपीचंद वमन बाविस्कर को बुलाया । तद्नुसार, गोपीचंद और उसका भाई लखीचंद (मृतक) जो शारीरिक रूप से नि:शक्त था, दिलीप के मकान पर गए और उन्होंने स्थिति को शांत किया । इस प्रक्रिया में, लखीचंद ने भी अपीलार्थी को गाली दी । अपीलार्थी ने नाराज होकर लखीचंद पर लाठी से उसकी पीठ पर हमला किया । अपने भाई पर उक्त हमला देखकर गोपीचंद ने अपीलार्थी के सिर पर लाठी से प्रहार किया । उसके पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से अपने मकान पर गया और परशुराम और उसके पुत्र संजय-क्रमश: अभियुक्त सं. 2 और 3 के साथ वापस आया । इस समय अपीलार्थी एक गुप्ती से लैश था, जबकि परशुराम अभिकथित रूप से बल्लम से और संजय एक लाठी से लैश था । जब गोपीचंद, दिलीप और लखीचंद ने अपीलार्थी को दो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने हाथों में आयुध लिए हुए उनकी ओर आते हुए देखा, तो गोपीचंद और दिलीप अभिकथित रूप से एक तरफ चले गए किंतु लखीचंद शारीरिक नि:शक्तता के कारण उतनी शीघ्रता से वहां से नहीं जा सका । अपीलार्थी ने गुप्ती से लखीचंद पर उसकी बाईं कांख पर हमला किया । परशुराम ने बल्लम से लखीचंद पर हमला किया । जबकि संजय ने लाठी से उस पर हमला किया । हमले के कारण लखीचंद को उसकी छाती, बाईं कांख पर रक्तस्राव क्षतियां पहुंची और वहीं बेहोश हो गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल से भाग गए । गोपीचंद-अभि. सा. 1 अपनी भाभी-सुखबाई-अभि. सा. 4 और अन्य व्यक्तियों के साथ लखीचंद को राजकीय अस्पताल, अडावाड लाए, जहां परीक्षण करने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया । विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई ।

4. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों सहित सोलह साक्षियों की परीक्षा की और तात्विक वस्तुएं भी प्रस्तुत कीं तथा कई

दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियुक्तों से अपराध में आलिप्त करने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे गए और उन्होंने सभी प्रश्नों से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य और अपीलार्थी-अभियुक्त से गुप्ती की बरामदगी के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी पाया । विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षतियां बाईं भुजा के ऊपरी सिरे का छेदन करते हुए फिर चौथी पसली का थोड़ा अस्थिभंग करते हुए छाती में प्रविष्ट हुई और फेफड़ों में क्षति कारित हुई । विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और अन्य साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं और अभियुक्त सं. 2 और 3 ने मृतक पर बल्लम और लाठी से हमला किया था और उन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

6. अपील में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल अपीलार्थी ने प्राणहर शस्त्र से मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की । जहां तक अभियुक्त सं. 2 और 3 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सं. 2 और 3 अपीलार्थी के साथ घटनास्थल पर घटना के केवल बाद वाले भाग में आए थे और मृतक की हत्या करने का कोई सामान्य आशय नहीं था और इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और 3 को दोषमुक्त कर दिया ।

7. अपीलार्थी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की । जब मामला सुनवाई के लिए आया, इस न्यायालय ने तारीख 4 सितम्बर, 2018 के आदेश द्वारा केवल अपराध की प्रकृति और दंडादेश की मात्रा तक सीमित सूचना जारी की ।

8. **सुरैन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लेकर

---

[1] (2017) 5 एस. सी. सी. 796.

अपीलार्थी की ओर से विद्वान् कांउसेल ने यह दलील दी कि घटना एक अचानक हुए झगड़े में घटी थी और गोपीचंद-अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी पर हमला करने के पश्चात् अपीलार्थी अपने मकान पर गया था और वापस आया था तथा अचानक हुई लड़ाई में मृतक पर हमला किया था और अपीलार्थी का मृतक लखीचंद की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है ।

9. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस दलील का खंडन करते हुए यह दलील दी कि गोपीचंद द्वारा प्रथम घटना में अपीलार्थी पर प्रहार किया गया था और उसके पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था और अपने घर पर गया तथा अपने हाथ में गुप्ती लेकर अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 के साथ वापस आया था और इसलिए घटना को एक "अचानक हुई लड़ाई" का मामला नहीं कहा जा सकता है । यह भी दलील दी गई कि अपने मकान पर जाने और गुप्ती लेकर आने तथा मृतक लखीचंद पर हमला करने के अपीलार्थी के आचरण से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि घटना अचानक हुई लड़ाई में आवेश में घटित नहीं हुई थी और इस प्रकार यह अपराध स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आने वाला एक हत्या का मामला है और किसी भी अपवाद के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं है ।

10. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री दिनेश चंद्र पांडेय और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया ।

11. विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपनी दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन उपांतरण करने के लिए मामला सिद्ध किया है या नहीं ?

12. मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के

भीतर लाने के लिए इसमें प्रगणित निम्नलिखित शर्तों का अवश्य समाधान किया जाना चाहिए – (i) कृत्य अचानक झगड़ा होने पर; (ii) आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन बिना; (iii) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना किया गया होना चाहिए; और अभियुक्त ने क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य नहीं किया हो ।

13. भले ही लड़ाई पूर्वचिंतन बिना और अचानक हुई हो, यदि आयुध या प्रतिकार की रीति, अपराध के अननुपातिक हो और यदि अभियुक्त ने मृतक का अनुचित लाभ उठाया था, तो अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन संरक्षित नहीं किया जा सकता है । **श्रीधर भुयन** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "7. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कृत्य अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में, पूर्वचिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना तथा क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति में कार्य किए बिना किया गया था ।
>
> 8. भारतीय दंड सहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के अंतर्गत किसी अचानक हुई लड़ाई में किए गए कृत्य आते हैं । उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले के संबंध में हैं जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत न आता हो और इसके पश्चात् इस अपवाद को रखना अधिक समुचित हो जाता है ..... । लड़ाई के लिए कोई पूर्ववर्ती विचार-विमर्श या चिंतन न हो । लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षकारों को कमोवेश उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । यह हो सकता है कि उनमें से एक पक्ष ने यह लड़ाई आरंभ की हो, किंतु यदि दूसरे पक्ष ने अपने आचरण द्वारा इसे बढ़ाया न होता, तो इसने उतना गंभीर मोड़ न लिया होता जितना इसने लिया । इसमें परस्पर प्रकोपन और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक लड़ाई करने वाले का जितना-जितना दोष है उसे संविभाजित

[1] (2004) 11 एस. सी. सी. 395.

करना कठिन है । अपवाद-4 का अवलंब तब लिया जा सकता है यदि मृत्यु (क) पूर्वचिंतन के बिना, (ख) अचानक हुई लड़ाई में, (ग) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना कारित की जाती है और (घ) लडाई मर गए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए । कोई मामला अपवाद-4 के अंतर्गत लाने के लिए इसमें वर्णित सभी संघटकों का पाया जाना आवश्यक है । यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 में उल्लिखित "लड़ाई" को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है । एक हाथ से ताली नहीं बजती । आवेश की तीव्रता के लिए यह अपेक्षित है कि आवेश को सहज होने के लिए कोई समय नहीं मिलना चाहिए और इस मामले में पक्षकार शुरुआत में मौखिक कहा-सुनी के कारण उग्र हो गए थे । लड़ाई दो और अधिक व्यक्तियों के बीच आयुधों सहित या बिना एक संघर्ष है । कोई ऐसा साधारण नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक लड़ाई किसे माना जाएगा । यह एक तथ्य का प्रश्न है और क्या झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित तथ्यों पर निर्भर करेगा । अपवाद-4 लागू होने के लिए, यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था । यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् लाभ नहीं उठाया था या क्रूरतापूर्ण या प्रायिक रीति में कार्य नहीं किया था । इस उपबंध में प्रयुक्त "असम्यक् लाभ" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत "अनुचित लाभ" है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

इस सिद्धांत को **पप्पू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] और **सुरैन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** (उपरोक्त) वाले मामलों में दोहराया गया था, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन उपांतरित किया गया था ।

---

[1] (2006) 7 एस. सी. सी. 391.

14. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें विचार करना है कि क्या प्रस्तुत मामले के तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आते हैं या नहीं ? गोपीचंद-अभि. सा. 1/ शिकायतकर्ता, मृतक लखीचंद और दिलीप का सगा भाई है तथा अपीलार्थी उनके पिता का चचेरा भाई है । अपीलार्थी का मकान और दिलीप का मकान एक-दूसरे से सटे हैं और दिलीप ने अपने परिसर तथा अपीलार्थी के मकान के बीच में एक सांझी दीवार का निर्माण किया था और दीवार के निर्माण के खर्चे में हिस्से को लेकर उनके बीच विवाद था और यह बात दोनों पक्षकारों के बीच अक्सर झगड़ा होने का कारण बन गई थी । घटना की तारीख अर्थात् 16 मई, 2006 को 4.00 बजे अपराह्न में दिलीप, उसकी पत्नी सुखबाई-अभि. सा. 4 और अपीलार्थी के बीच गाली-गलौज हुई । दिलीप के पुत्र गणेश-अभि.सा. 5 ने गोपीचंद-अभि. सा. 1 को बुलाया । तद्नुसार, अभि. सा. 1 और उसके भाई लखीचंद (मृतक) दिलीप के मकान पर गया और स्थिति को शांत करने की कोशिश की, किन्तु इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका । इस प्रक्रिया में, मृतक ने अपीलार्थी को गाली दी और अपीलार्थी क्षुब्ध हो गया तथा लखीचंद पर लाठी से उसकी पीठ पर हमला किया । यह देखकर, गोपीचंद-अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी के सिर पर लाठी से एक प्रहार किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी अपने मकान पर गया और गुप्ती से लैश होकर अन्य अभियुक्तों के साथ वापस आया तथा लखीचंद की बाईं कांख में गुप्ती से क्षति कारित की । उपरोक्त घटना केवल आपस में गाली-गलौज होने और गोपीचंद द्वारा अपीलार्थी के सिर पर किए गए लाठी के प्रहार के पश्चात् घटी थी । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी और दिलीप के बीच विवाद एक सांझी दीवार के निर्माण और इसके खर्चे में हिस्सा न देने के कारण था । अपीलार्थी का मकान दिलीप के मकान से अगला ही था, इसलिए प्रथम घटना और उसके पश्चात् हुई घटना, जिसमें अपीलार्थी ने मृतक की बाईं कांख में गुप्ती से क्षति कारित की थी, के बीच समय का कोई अंतराल नहीं था । दोनों घटनाएं दो अलग-अलग भागों में होना नहीं कहा जा सकता है अपितु वे एक ही घटना के अभिन्न भाग हैं ।

15. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्रीनिशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर द्वारा उद्धृत **आसिफ खान** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले के निर्णय में का अभियुक्त मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से चला गया था और दस से पंद्रह मिनट के पश्चात् वापस आया और फिर मृतक पर हमला किया था और ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों दो अलग-अलग घटनाएं हैं । प्रस्तुत मामले के तथ्य एक भिन्न आधार पर आधारित हैं । मृतक ने अपीलार्थी को गाली दी और उसने क्षुब्ध होकर पहले लखीचंद पर हमला किया और यह देखकर गोपीचंद ने अपीलार्थी के सिर पर लाठी से एक प्रहार किया और उसके पश्चात् अपीलार्थी अगले ही दिन अपने मकान पर गया और गुप्ती लेकर वापस आया । मृतक को कारित की गई क्षति उसी घटना का भाग है और इसे यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक अलग भाग नहीं कहा जा सकता है कि यह कृत्य पूर्वचिंतित और साशय था । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा ठीक ही यह दलील दी गई है कि यह घटना अचानक हुए झगड़े में घटी थी और कोई पूर्वचिंतन नहीं था । अपवाद-4 की शर्तों में एक शर्त यह है कि अपराधी ने "अनुचित लाभ" न उठाया हो या क्रूरतापूर्ण अथवा अप्रायिक रीति में कार्य न किया हो । अपीलार्थी ने गुप्ती से बाईं कांख पर केवल एक प्रहार किया था जो बाईं भुजा के ऊपरी सिरे को भेदता हुआ छाती में प्रविष्ट हुआ और चौथी पसली का अस्थिभंग करते हुए फेफड़े तक पहुंचा और बाएं फेफड़े की वाहिका को विदारित किया । यद्यपि, गुप्ती एक खतरनाक आयुध था और अपीलार्थी-अभियुक्त ने एक क्षति कारित की थी जो फेफड़े तक जा पहुंची । गोपीचंद-अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी पर लाठी से प्रहार करने पर उसने अचानक हुए झगड़े और आवेश की तीव्रता में मृतक लखीचंद को क्षति कारित की थी । हमारे मत में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-4 के अंतर्गत आता है । अपीलार्थी-अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 में उपांतरित किए जाने योग्य है ।

---

[1] 2019 की दांडिक अपील सं. 286-288, तारीख 5 मार्च, 2019 को विनिश्चित ।

16. परिणामत:, यह अपील भागत: मंजूर की जाती है और अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अधीन दोषसिद्धि के रूप में उपांतरित किया जाता है और अपीलार्थी को बारह वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2019] 3 उम. नि. प. 370

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

बनाम

गोविन्दन राघवन्

तथा

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

बनाम

गीतू गिडवानी वर्मा और एक अन्य

[2018 की सिविल अपील सं. 12238 और 2019 की सिविल अपील सं. 1677]

2 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) – धारा 2 (1) (छ) और (द) [सपठित भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 84 तथा हरियाणा भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 का नियम 15] – सेवा में कमी – फ्लैट-क्रेता